# न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला राजसमन्द

**पीठासीन अधिकारी :– विनय कुमार सोलंकी (आर.जे.एस.)**

**दाण्डिक मूल प्रकरण संख्या :– 69/2022**
**प्रकरण का सी.आई.एस. नं. :– 79/2022**
**प्रकरण का सी.एन.आर. नं.:– RJRS100001582022**
**प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 214/2021, पुलिस थाना रेलमगरा**

राजस्थान राज्य : **बनाम** : राजु मंसूरी

**अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता**

**भाग – प्रथम**

## A

| | |
|---|---|
| परिवादी | राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी रेलमगरा, जिला राजसमन्द। |
| प्रस्तुतकर्ता | थानाधिकारी पुलिस थाना रेलमगरा |
| अभियुक्त का नाम व पता | राजु पुत्र नन्हे खां मंसूरी मुसलमान, आयु 46 वर्ष, निवासी चावण्डिया, हाल निवासी बिसलवास कला, थाना बघना, जिला निमच (मध्यप्रदेश) |
| अधिवक्ता अभियुक्त | श्री राजकुमार जोशी |

## B

| | |
|---|---|
| अपराध की दिनांक | 26.07.2021 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक | 01.10.2021 |
| आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक | 01.10.2021 |
| आरोप विरचित किये जाने की दिनांक | 14.09.2022 |
| साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक | 21.04.2026 |
| निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक | 07.05.2026 |
| निर्णय दिनांक | 07.05.2026 |
| दण्डादेश की दिनांक | 07.05.2026 |

## भाग द्वितीय

## अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

### अ–अभियोजन गवाहान

| रैंक | नाम | साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह,पंच गवाह, अन्य गवाह) |
|---|---|---|
| पी.ड.01 | श्रीमती रईसा बानु | प्रथम सूचना रिपोर्ट की ताईदकर्ता |
| पी.ड.02 | मदनलाल | स्वतन्त्र साक्षी |
| पी.ड.03 | आजाद मोहम्मद | स्वतन्त्र साक्षी |

### ब–बचाव गवाह

| रैंक | नाम | साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह,पंच गवाह, अन्य गवाह) |
|---|---|---|
| — | — | — |

### स–न्यायालय का गवाह

| रैंक | नाम | साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह,पंच गवाह, अन्य गवाह) |
|---|---|---|
| — | — | — |

## अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

### अ–अभियोजन प्रदर्श

| क्र.सं. | प्रदर्श नम्बर | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी–1 | परिवाद |
| 2 | प्रदर्श पी–2 | चाक एफ.आई.आर. |
| 3 | प्रदर्श पी–3 | दहेज का सामान बरामद नहीं करने का प्रार्थना पत्र |
| 4 | प्रदर्श पी–4 | पुलिस बयान श्रीमती रईसा |
| 5 | प्रदर्श पी–5 | पुलिस बयान मदनलाल |
| 6 | प्रदर्श पी–6 | पुलिस बयान आजाद मोहम्मद |

**ब–बचाव प्रदर्श**

| क्र.सं. | प्रदर्श नम्बर | विवरण |
|---|---|---|
| – | – | – |

**स–न्यायालय प्रदर्श**

| क्र.सं. | प्रदर्श नम्बर | विवरण |
|---|---|---|
| – | – | – |

**द–भौतिक वस्तुंए**

| क्र.सं. | भौतिक वस्तु नम्बर | विवरण |
|---|---|---|
| – | – | – |

**:: <u>नि र्ण य</u> ::** **दिनांकः 07.05.2026**

**01.** इस प्रकरण में थानाधिकारी, पुलिस थाना रेलमगरा की ओर से दिनांक 28.02.2022 को अभियुक्त राजु मंसूरी के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. में बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर बाद कार्यालय जाँच एवं अवलोकन अभियुक्त राजु मंसूरी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दाण्डिक मूल रजिस्टर में दर्ज किया गया।

**02.** प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 26.07.2021 को परिवादीया रईसा बानु पत्नी राजु मंसुरी, उम्र 40 वर्ष, निवासी बिसलवास कला थाना नीमच, हाल निवासी कोटड़ी, थाना रेलमगरा, जिला राजसमन्द ने अभियुक्तगण राजु, नन्हे खां, हुसैना एवं रजिया बानु के विरूद्ध एक परिवाद अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406, 494 भा.द.सं. के तहत हाजा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि परिवादीया का विवाह उसकी नाबलिग अवस्था में अभियुक्त सं. 01 राजु मंसुरी के साथ जाति रिवाज अनुसार सम्पन्न करवाया था। निकाह के समय परिवादीया के माता पिता ने उनकी हैसियत अनुसार दहेज का सामान दिया जिसमें घरेलू सामान एवं सोने चांदी के जेवरात थे। इसके पश्चात् परिवादीया के पिता ने परिवादीया को मायरा पहनाया जिसमें अभियुक्त सं. 01 के सभी परिवार वालों को कपड़े दिये तथा 500 ग्राम चांदी के पायजेब, सोने की टोरिया व 5000/– रूपये रोकड़ दिये तथा बालिग होने के बाद से वह परिवादीया ससुराल अपने पति के पास रहती चली आ रही थी। परिवादीया ने

अभियुक्त सं. 01 राजु मंसुरी के नुत्फे से तीन लड़कियां पैदा हुई जिसमें सबसे बड़ी लड़की हीना, उससे छोटी शबनम 07 वर्ष व उससे छोटी तमन्ना उम्र 05 माह है। परिवादीया के जब अन्तिम लड़की उत्पन्न हुई उसके बाद अभियुक्त उसका पति परिवादीया से घृणा करने लग गया व कहता कि तेरे तो लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है लड़का पैदा नहीं होता है इसलिये वह तुम्हे नहीं रखेगा। वह तो दूसरी औरत लाऐगा तथा उसके साथ आये दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट व गाली गलोच करने लग गया। उसके साथ उसके माता पिता नन्हे खां सास हुसैना हाल निवासी बिसलवास थाना नीमच जिला नीमच के सिखावट में आकर उसका पति उससे दो लाख रूपये की मांग करता। उसके माता पिता गरीब व्यक्ति है जो इतनी राशि देने में सक्षम नहीं है तो उसका पति गांव कोटड़ी में ही अस्थाई रूप से निवास करता था। वह भी उसके साथ कोटड़ी में ही उसके पति के साथ रहती तो उसके पति उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर जेवरात खुलवाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया तब से वह उसके माता पिता के पास निवास कर रही है तथा उसके पति ने रजिया बानु पिता असरफ अली निवासी मौखुंदा थाना रायपुर जिला भीलवाड़ा के साथ दूसरा निकाह कर लिया तथा उसके पति ने उसके होते हुए भी रजिया बानु को अपनी पत्नी बनाकर रख रखा है। इस प्रकार उसके पति सास ससुर ने उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है तथा अवैध रूप से दहेज की मांग कर घर से बाहर निकाल दिया व उसके जेवरात भी खुलवाकर रख लिये व उसका दहेज का सामान था वह भी उसे वापस नहीं दिया। उक्त आशय की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना रेलमगरा पर पेश की थी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय राजसमन्द के समक्ष भी परिवाद पेश किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने उक्त परिवाद श्रीमान् के समक्ष पेश कर रही है, आदि।

**03.** परिवादीया द्वारा प्रस्तुत उक्त परिवाद पर पारित न्यायालय आदेश दिनांकित 05.08.2021 की पालना में पुलिस थाना रेलमगरा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 214/21 अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 494 भा.दं.सं. में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त राजु मंसुरी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.सं. के आरोप के तहत नतीजा चार्जशीट पेश की गयी, जिस पर अभियुक्त उक्त के विरूद्ध धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के तहत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

**04.** न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2022 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त

को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

**05.** प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न लिखित गवाह पेश कर परीक्षित कराये गयेः–

| क्र.सं. | अंकन | गवाह का नाम |
|---|---|---|
| 1 | पी.ड.01 | श्रीमती रईसा बानु |
| 2 | पी.ड.02 | मदनलाल |
| 3 | पी.ड.03 | आजाद मोहम्मद |

दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न लिखित दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित कराये गयेः–

| क्र.सं. | प्रदर्श | दस्तावेज |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी–1 | परिवाद |
| 2 | प्रदर्श पी–2 | चाक एफ.आई.आर. |
| 3 | प्रदर्श पी–3 | दहेज का सामान बरामद नहीं करने का प्रार्थना पत्र |
| 4 | प्रदर्श पी–4 | पुलिस बयान श्रीमती रईसा |
| 5 | प्रदर्श पी–5 | पुलिस बयान मदनलाल |
| 6 | प्रदर्श पी–6 | पुलिस बयान आजाद मोहम्मद |

**06.** प्रकरण में दिनांक 21.04.2026 को परिवादीया एवं अभियुक्त के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपराध अंतर्गत धारा 406, 498ए भा.दं.सं. के तहत आपसी राजीनामा होने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर धारा 406 भा.दं.सं. का अपराध शमनीय प्रकृति का होने से उक्त धारा के तहत अनुमति प्रदान की जाकर अभियुक्त राजु मंसुरी को अंतर्गत धारा 406 भा.दं.सं. के आरोप से बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया। प्रकरण में अब अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए भा.दं.सं. की हद तक अन्वीक्षा शेष रह जाती है।

**07.** अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत बताया एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई बन्द की गयी।

**08.** बहस अंतिम सुनी गयी। पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया

गया। न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दू यह है कि–

**1. क्या अभियुक्त ने परिवाद प्रस्तुति की दिनांक 26.07.2021 से पूर्व किसी समय मौजा कोटड़ी, में परिवादीया श्रीमती रईसा बानु के पति की हैसियत में होते हुए परिवादीया से दो लाख रूपये दहेज की मांग करते हुए उसके साथ जबरदस्ती झगड़ा करके घर से बाहर निकाल कर परिवादीया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता कारित की, जो भा.द.सं. की धारा 498ए के अधीन दण्डनीय अपराध है ?**

**2. यदि हाँ, तो दण्डादेश क्या रहेगा ?**

**09.** दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री गवाहान् के बयानात् व फर्दात् के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

**10.** इसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य में घोर विरोधाभास है तथा स्वयं प्रार्थीया ने अपनी साक्ष्य के दौरान रिपोर्ट / परिवाद के अभिवचनों की पुष्टि नहीं की गई है तथा पक्षद्रोही घोषित हुई है। परीक्षित अन्य साक्षीगण के द्वारा रिपोर्ट / परिवाद के अभिवचनों की ताईद नहीं की गई है तथा पक्षद्रोही घोषित होकर दहेज की मांग के लिये प्रताडित करने एवं परिवादीया के साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से क्रूरता करने से स्पष्टतया इंकार करते है एवं किसी भी प्रकार से अभियोजन कथा का समर्थन साक्ष्य में नहीं करते हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

**11.** न्यायालय के समक्ष उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन करें तो सर्वप्रथम गवाह पी.ड. 01 श्रीमती रईसा, जो कि स्वयं परिवादीया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये कि उसका निकाह नाबालिग अवस्था में बिसलवास जिला नीमच निवासी राजु के साथ हुआ था। निकाह के समय उसके पिता ने उसे सभी आवश्यक घरेलू सामान व उपहार आदि दिये थे। बालिग होने पर वह अपने ससुराल आने जाने लगी। विवाह से उसके तीन लड़कियां है। वह तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। यह कहना सही है कि उसने अपने पति व ससुराल वालों के

खिलाफ जरिये परिवाद प्रदर्श पी–1 प्रकरण दर्ज करवाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जिसकी चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–2 है। थानाधिकारी को डायचे का सामान बरामद नहीं करने बाबत् दी गई तहरीर प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं पुलिस बयान प्रदर्श पी–4 गवाह को पढ़कर सुनाया गया जिसके ए से बी भाग को गवाह ने सही होना स्वीकार किया। उसके पति के साथ उसके वैचारिक मतभेद हो जाने से उसने प्रकरण दर्ज करवा दिया था। अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर परिवादीया को पक्षद्रोही घोषित किया गया जिसने दौराने प्रतिपरीक्षण अभियोजन अधिकारी पुलिस बयान प्रदर्श पी–4 के सी से डी भाग को अस्वीकार किया है तथा दौराने प्रतिपरीक्षण अधिवक्ता अभियुक्त यह स्वीकार किया है कि उसका उसके पति राजु मंसुरी के साथ राजीनामा हो गया है और वह इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

**12.** अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के स्वतन्त्र साक्षी के बतौर गवाह पी.ड. 02 मदन को परीक्षित करवाया गया है। गवाह उक्त द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये गये कि वह अहमद खां को जानता है, रईसा उसकी बेटी है। वह अनपढ़ होकर हस्ताक्षर करना जानता है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 है। उक्त गवाह को भी अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है जिसने दौराने प्रतिपरीक्षण अभियोजन अधिकारी अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 के ए से बी भाग को अस्वीकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्त को जिरह का अवसर दिये जाने के उपरान्त भी गवाह से जिरह नहीं की गयी।

**13.** अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य स्वतन्त्र गवाह के बतौर गवाह पी.ड. 03 आजाद मोहम्मद को परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि रईसा उसकी चचेरी बहन है जिसका निकाह नाबालिग अवस्था में चावण्डिया निवासी राजु मंसुरी के साथ हुआ था। वह पांचवी कक्षा तक पढ़ा है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 गवाह को पढ़कर सुनाये गये जिसका ए से बी भाग गवाह ने सही होना स्वीकार किया। उक्त गवाह को भी अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है जिसने दौराने प्रतिपरीक्षण पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 के सी से डी भाग को अस्वीकार किया है। तथा दौराने प्रतिपरीक्षण अभियुक्त पक्ष यह स्वीकार किया कि रईसा व राजु मंसुरी के बीच राजीनामा हो चुका है जिसके बारे में रईसा ने उसे बताया है।

**14.** इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुई समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात् अवधार्य बिन्दू के संबंध में न्यायालय का मत इस प्रकार से है कि हस्तगत प्रकरण परिवादीया श्रीमती रईसा बानु की ओर से दिनांक 26.07.2021 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये परिवाद प्रदर्श पी–1 से उद्भव में आया है। उक्त परिवाद में वर्णित अभिवचनों के मुताबिक स्वयं का उसकी नाबालिग अवस्था में अभियुक्त राजु मंसुरी के साथ निकाह किये जाने के अभिवचन किये है। हालांकि परिवाद की ईबारत में परिवादीया ने अपने पति पर दूसरा विवाह कर लेने के आरोप लगाये है किन्तु उक्त आक्षेप की ताईद पुलिस अनुसंधान से नहीं हो पायी है।

**15.** इसके अतिरिक्त परिवादीया की ओर से प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्त राजु मंसूरी सहित 04 नामजद व्यक्तियों पर धारा 498ए, 406, 494 भा.द.सं. के आक्षेप वर्णित किये है, किन्तु बाद अनुसंधान परिवादीया के पति राजु मंसुरी के विरूद्ध केवल मात्र धारा 498ए एवं 406 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित माना गया है तथा शेष किसी अभियुक्तगण के विरूद्ध आक्षेपित आरोपों की पुष्टि पुलिस अनुसंधान से नहीं हो पायी है और न ही इस संबंध में परिवादीया द्वारा दौराने विचारण न्यायालय के समक्ष कोई विशेष चाराजोही की गयी है। उपरोक्त आशय के विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादीया ने अपने परिवाद में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर व बढ़ा–चढ़ाकर आक्षेपों का उल्लेख करते हुए परिवाद पेश किया है।

**16.** प्रकरण में बाद राजीनामा अभियुक्त पर शेष रहे आरोपित अपराध धारा 498ए के संदर्भ में अभियोजन पक्ष को न्यायालय के समक्ष यह स्थापित करना था कि अभियुक्त द्वारा परिवादीया के साथ दो लाख रूपये दहेज की मांग करते हुए उसके साथ क्रूरर्ता व निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जिससे कि उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति या खतरा कारित होना सम्भाव्य हो। इस संबंध में परिवादीया ने अपने परिवाद अभियुक्त द्वारा उससे दो लाख रूपये की मांग किये जाने के अभिवचन अवश्य किये है किन्तु न्यायालय के समक्ष बतौर पी.ड. 01 परीक्षित रहते हुए अपने सशपथ बयानों में अभियुक्त राजु मंसुरी द्वारा उससे या उसके घरवालों से कोई दहेज की मांग किये जाने के कथन नहीं किये है तथा परिवाद प्रदर्श पी–01 की किसी भी प्रकार से ताईद ना करते हुए परिवादीया पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रही है। परिवादीया द्वारा न्यायालय के समक्ष यह भी किसी प्रकार से संपुष्ट नहीं किया गया है कि उसके पति द्वारा उसके साथ किस प्रकार से

क्रूरता व निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया हो। परिवादीया की साक्ष्य अभियुक्त पर आरोपित अपराध साबित करने के प्रयोजन से काफी प्रतीत नहीं होती है।

**17.** परिवादीया के अतिरिक्त परीक्षित हुए गवाह पी.ड.02 मदन एवं पी.ड.03 आजाद मोहम्मद स्वतन्त्र साक्षी की साक्ष्य में गवाहान् द्वारा रहीशा द्वारा अपने पति के खिलाफ किस बात का केस करवाया जानकारी होने से स्पष्ट इन्कार किया है तथा परीक्षित हुए दोनों ही साक्षीगण को पक्षद्रोही हो जाने की दशा में भी अभियोजन कथा को विशेष बल प्राप्त नहीं होता है।

**18.** चूंकि प्रकरण की परिवादीया पक्षद्रोही रही है तथा परीक्षित शेष साक्षी भी किसी प्रकार से अभियोजन कथा की ताईद अपने बयानों के माध्यम से नही करते है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के उपरांत अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने परिवाद प्रस्तुति की दिनांक 26.07.2021 से पूर्व किसी समय मौजा कोटड़ी, में परिवादीया श्रीमती रईसा बानु के पति की हैसियत में होते हुए परिवादीया से दो लाख रूपये दहेज की मांग करते हुए उसके साथ जबरदस्ती झगड़ा करके घर से बाहर निकाल कर परिवादीया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की। लिहाजा अभियुक्त राजु मंसुरी आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भा.द.सं. के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

**:: आदेश ::**

**19.** अतः अभियुक्त राजु पुत्र नन्हे खां मंसूरी मुसलमान, आयु 46 वर्ष, निवासी चावण्डिया, हाल निवासी बिसलवास कला, थाना बघना, जिला निमच (मध्यप्रदेश) को अपराध अंतर्गत धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

**20.** अभियुक्त राजु मंसुरी को अपराध अंतर्गत धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से बरूए राजीनामा दिनांक 21.04.2026 को दोषमुक्त किया जा चुका है।

**21.** अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत एवं मुचलके धारा 437–क द.प्र.सं. के अंतर्गत माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा पारित आदेश, यदि हो, के अध्यधीन आज दिनांक से 6 माह के पश्चात् नियमानुसार रद्द समझे जावें।

**22.** प्रकरण में पीड़िता को हुई क्षति पीडित प्रतिकर स्कीम के प्रावधानों एवं अनुसूची मे वर्णित क्षति के दायरे मे आना प्रकट नही हुई है। अतः जिला विधिक

सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर हेतु अनुशंसा की आवश्यकता नही रह जाती है।

**23.** प्रकरण में जब्तशुदा कोई माल यदि हो तो बाद गुजरने मियाद अपील / रिवीजन नियमानुसार नष्ट किया जावे।

**(विनय कुमार सोलंकी)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलमगरा
जिला राजसमन्द।

**24.** निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा विवृत न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

**(विनय कुमार सोलंकी)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलमगरा
जिला राजसमन्द।